उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या- 45 /2022/1521 / सत्रह-म-2022-17-1001 (009) / 322 / 2019

लखनऊः दिनांक- 22 दिसम्बर, 2022

कार्यालय- आदेश

लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-29(4)/10/एस-2/पी/2021-22,दिनांक 22.10.2022 द्वारा ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री सिद्धू राम यादव को सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर प्रोन्नत किये जाने की संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है |

2. अतः लोक सेवा आयोग के उक्त पत्र दिनांक-20.10.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के साथ ही कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-13/21/89-का-1-1997,दिनांक 28.05.1997 के प्रस्तर-1(7)(क) में प्राविधानित व्यवस्थानुसार श्री सिद्धू राम यादव, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक (ज्येष्ठता क्रमांक-09) को उनसे कनिष्ठ श्रीमती नीतू सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-10) के सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर प्रोन्नति की तिथि 07.06.2022 से सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर नोशनल पदोन्नति एवं योगदान की तिथि से वास्तविक पदोन्नति प्रदान किये जाने तथा मत्स्य निदेशालय में रिक्त सहायक निदेशक मत्स्य के पद व स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं |

3- उक्त नव पदोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण कर,कार्यभार–प्रमाणक शासन एवं निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

4- उक्त पदोन्नत अधिकारी को उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन (राजपत्रित)सेवानियमावली 1993 यथा संशोधित 2001 तथा उ0 प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली 2013 यथासंशोधित 2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है।

(प्रशान्त शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या- 45 /2022/ 1521 (1)/सत्रह-म-2022 तददिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः –

(1) महालेखाकार,उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
(2) निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त, लखनऊ/ जिलाधिकारी, लखनऊ ।
(4) संयुक्त सचिव, लोक सेवा आयोग प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-29 (4)/10/एस-2/पी/2021-2022 दिनांक 22 अक्टूबर, 2022 के संदर्भ में सूचनार्थ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
(7) संयुक्त निदेशक,राजकीय मुद्रणालय इलाहाबाद को राजपत्रित गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
(8) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
(9) वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(10) सम्बंधित अधिकारी ।
(11) गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.in